

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(3)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक

9 MAY 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :- सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन लेने के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त विभाग के आदेश एफ 9(1)एफडी-1(1)/बजट/2012 दि. 01.05.14

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्त विभाग के आदेश का अवलोकन करें, जिसमें उनके पूर्व पत्र 25.07.2011 जिसमें सेवा एजेन्सी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को अधिकतम 6500/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने के निर्देश थे, उसे बढ़ाकर अब रुपये 8000/- प्रति माह किये गये है। प्राप्त आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उक्त आदेशों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस.आर.पिलानिया)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

P.T.O →

